यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **गंगोलीहाट**, **पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **गंगोलीहाट**, **पिथौरागढ़** के माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.12.2018 से 13.12.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड गंगोलीहाट आता हैं । विकास खण्ड के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(**रु0 लाख में**)

वर्ष	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**बचत/ समर्पण**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	453.08	388.51	1.67	1.67	64.57	00
2016-17	430.82	409.45	00	00	21.37	00
2017-18	420.96	400.27	00	00	20.69	00
2018-19 (11/2018)	442.16	345.93	0.95	00	96.23	0.95

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(**रु0 लाख मे**)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष**
2015-16	NHM (RCH, Add. & Immunisation)	5.84	62.97	63.83	4.98
2016-17		4.98	109.29	112.46	1.81
2017-18		1.81	88.66	87.00	3.46
2018-19 (11/2018)		3.46	16.75	20.00	0.21

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं केंद्र योजना (NHM) द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, प्रभारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- प्रभारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- प्रभारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). चिकित्सा अधीक्षक

6). प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

7). अन्य स्टाफ

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **गंगोलीहाट**, **पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2012, 07/2018, 08/2017, 04/2014 एवं 02/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो-"ब"

प्रस्तर 01**: वर्ष 2016 से एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन का अनुपयोगी रहना।**

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड की मशीन संचालक/तकनीशियन के अभाव में वर्ष 2016 से अनुपयोगी पड़ी हुई थी। इन मशीनों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण जेएसएसके एवं जेएसवाई योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले अनिवार्य जांच मरीजों को बाहर से बाजार दरों पर कराने पड़ रहे हैं जिससे गरीब मरीजों के सामने कठिनाई उत्पन्न हो रही थी एवं चिकित्सा-कार्य प्रभावित हो रहा था। मशीन-संचालक के पदों पर नियुक्ति हेतु शासन से पत्राचार किए जाने का कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः विभागीय शिथिलता के कारण उक्त दोनों पदों पर तकनीकी संचालकों की नियुक्ति नहीं हो सकी जिससे यूजर चार्ज के रूप मे प्राप्त होने वाली धनराशी के अतिरिक्त जेएसवाई एवं जेएसएसके के अंतर्गत किए जाने वाले डायग्नोस्टिक मद मे किए जाने वाले जांच हेतु एनएचएम से प्राप्त होने वाले केंद्रीय अनुदान की की धनराशि से भी वंचित रहना पड़ा।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि उक्त पद पर रिटायरमेंट के बाद नए कार्मिकों की नियुक्ति नहीं हुई। वर्ष 2005 से ही अल्ट्रासाउण्ड ऑपरेटर का एवं वर्ष 2016 से एक्स-रे मशीन ऑपरेटर का पद रिक्त है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यालयी पत्राचार का साक्ष्य इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अतः वर्ष 2016 से एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन के अनुपयोगी रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो –"ब"

प्रस्तर 02: चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र गगोलिहाट, इकाई का कार्य, मूल रूप से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एवम दित्तीय स्तरीय की चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है तथा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना एवं उनका अनुश्रवन करना है।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र गगोलिहाट के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र गगोलिहाट कार्यालय मे चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचरियों की अत्याधिक कमी थी,चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियों के 125 पद स्वीकृत थे उक्त स्वीकृत पद के सापेक्ष मात्र 56 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारी व कर्मचारी तैनात थे और 69पद रिक्त थे(पदवार विस्तृत विवरण संलगन)। जांच मे पाया गया शल्यक, निश्चेतक, पैथोलोजिस्ट,बाल रोग विशेषज्ञ, रेडिओलजिस्ट, फिजीशियन जैसे महत्वापूर्ण पद पर तैनाती नहीं थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र गगोलिहाट कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे, ऊपर दिये हुए 125पदो के सापेक्ष मात्र 56पदो पर तैनाती हुई थी और 69 पद (55.20%)रिक्त थे। प्रश्नगत पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई हुई तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त होने के कारण चिकित्सा सेवा पर बुरा असर पड़ता है।

अतः चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -01: अवास्तविक बजट की मांग के परिणामस्वरूप वर्षान्त रु. 106.63 लाख का समर्पण

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोप्रान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, गंगोलीहाट के बजट पत्रावली एवं संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत तीन वर्षो मे 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ कार्यालय द्वारा रुपए **106.63** लाख की धनराशि वर्ष के अंत मे समर्पित किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत था-

(धनराशि रु. लाख मे)

वर्ष	**बजट प्रावधान/मांग**	**बजट आवंटन**	**व्यय**	**बचत/समर्पित राशि**
2015-16	458.54	454.75	390.18	64.57
2016-17	437.05	430.82	409.45	21.37
2017-18	426.27	420.96	400.27	20.69
योग	**1321.86**	**1306.53**	**1199.9**	**106.63**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, गंगोलीहाट द्वारा बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की जा रही थी, और विगत तीन वर्षों मे मांग के सापेक्ष रुपए 15.33 लाख बजट कम प्राप्त होने के बाद भी आवंटित राशि का व्यय नहीं हुआ था, तथा विगत तीन वित्तीय वर्ष मे रुपए **106.63** लाख की धनराशि वर्ष के अन्त मे समर्पित किया गया था, जिस कारण उक्त राशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था। अतः वर्षान्त रुपए **106.63** लाख की धनराशि का समर्पण विभागीय उदासीनता एवं अवास्तविक बजट की मांग को प्रदर्शित करता है।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया की स्वीकृत पद के अनुसार बजट की मांग की जाती है परंतु पदों के रिक्त रहने के कारण बजट समर्पण करना पड़ता है। बजट वित्तीय वर्ष के अन्त मे प्राप्त होने के कारण पूर्णतया उपयोग करना संभव नहीं होता है। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बजट की मांग वास्तविक रूप से पदों पर नियुक्ति के अनुसार की जानी चाहिये एवं बजट वित्तीय वर्ष के अन्त मे प्राप्त होने पर भी पूरे वर्ष के लंबित बिलों का भुगतान किया जा सकता है।

अतः अवास्तविक बजट की मांग के परिणामस्वरूप वर्षान्त रु. 106.63 लाख का समर्पण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2: धनराशि रु0 113471/- से अधिक मूल्य के निष्प्रोज्य उपकरण/सामाग्री तथा 02 निष्प्रोज्य वाहनो की पिछले कई वर्षों से नीलामी नहीं किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री/उपकरण को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड के पत्रांक 15प/भण्डार/6/2001/25 दिनांक 01 जनवरी, 2015 के अनुसार फालतू और निष्प्रोज्य भण्डार का विक्रय के क्रम मे समस्त परिधिगत अधिकारी निष्प्रोज्य घोषित उपकरण/ सामाग्री जिनका क्रय मूल्य रु0 01.00 लाख से रु0 05.00 लाख तक है, का अपने अधीनस्थ चिकित्सा इकाई मे गठित समिति द्वारा सूची बनाकर, आख्या सहित रिपोर्ट महानिदेशालय को उपलब्ध कराएगे । जिसको महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा नीलामी किए जाने हेतु निर्णय लिया जाएगा ।

तथा वाहन हेतु उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 94/परी0/2003, दिनांक- 07 मई 2003 के अनुसार निष्प्रोजय वाहनों के सम्बन्ध मे निर्देशित है कि

(i) निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य रखा जाएगा एवं नीलामी समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा की वाहन कम से कम न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम किया जाय।

(ii) यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है। ऐसा करने कि स्थिति मे नीलामी समिति द्वारा सुस्पष्ट लिखित आदेश जिसमे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों के भी उल्लेख हो, द्वारा वाहन नीलामी के आदेश जारी करने होंगे। तथा पत्र संख्या 3087/टी/30-4-38/90, दिनांक 27 अगस्त 1992 के अनुसार

(i) विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के निष्प्रयोज्य होने के तुरन्त बाद उसकी नीलामी सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर उसकी नीलामी अवश्य कर दें।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गंगोलीहाट के अवधि 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य सामग्री से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2014 से 2016 तक विभिन्न वर्षों मे लगभग 10 उपकरण/सामग्रियों राशि रु0 113471/- के निष्प्रयोज्य / अप्रयुक्त पड़े हुये थे, जो मरम्मत योग्य नहीं थे। जिसमे से 02 निष्प्रयोज्य सामग्रियों का मूल्य नहीं दर्शाया गया था। अप्रयुक्त उपकरण/ सामग्रियों को वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक विभिन्न वर्षों मे निष्प्रोज्य घोषित किया गया था। परन्तु वर्तमान (11/2018) तक नीलामी नहीं कि गयी थी।

इसके अलावा निम्नलिखित सूची के अनुसार 02 वाहन लम्बी अवधि से आफ-रोड/निष्प्रयोज्य पड़े हुये थे। जो मरम्मत योग्य नहीं थे। इन दोनों वाहनों के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के परामर्श से नहीं कराया गया था तथा वाहनों की वर्तमान (11/2018) तक नीलामी भी नहीं की गयी थी–

क्र0 स0	वाहन का नाम	पंजीकरण संख्या	अक्रियाशील वर्ष	निर्धारित न्यूनतम मूल्य
01	जीप	UA07A2387	2017	-
02	जीप	UP32N7253	2000	-

उपरोक्त नियम मे स्पष्ट था कि उपकरण / सामग्रियाँ के फालतू और निष्प्रोज्य भण्डार का विक्रय के क्रम मे समस्त परिधिगत अधिकारी निष्प्रोज्य घोषित उपकरण/ सामाग्री जिनका क्रय मूल्य **रु0 01.00 लाख से रु0 05.00 लाख** तक है, का अपने अधीनस्थ चिकित्सा इकाई मे गठित समिति द्वारा सूची बनाकर, आख्या सहित रिपोर्ट महानिदेशालय को उपलब्ध करायी जानी थी । उसके पश्चात महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा उक्त उपकरणो / सामग्रियों को नीलामी करने हेतु निर्णय लिया जाना था । परन्तु इकाई के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रयास लेखापरीक्षा मे नहीं पाया गया।

इसके अलावा 02 वाहन इतने लम्बी अवधि से निष्प्रोज्य पड़े हुये थे, जिनका नियमानुसार परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के परामर्श से न्यूनतम मूल्य का निर्धारण कराया जाना था तथा उसके पश्चात प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर नीलामी की जानी चाहिये थी। वाहन के लिए यह भी निर्देशित था कि यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम

नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समजे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं थी तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती थी।

इस प्रकार इकाई के द्वारा धनराशि रु0 113471/- से अधिक मूल्य के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामग्रियों तथा वाहन की नीलामी हेतु नियमानुसार प्रयास नहीं किए गए थे, परिणाम स्वरूप उक्त निष्प्रयोज्य उपकरण / सामग्रियों तथा वाहन के वास्तविक मूल्य का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त निष्प्रोज्य उपकरण / सामग्रियों तथा वाहन के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे कमी आ रही थी। इसके अतिरिक्त, समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व कि अप्रत्यक्ष हानि भी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकडों की पुष्टि करते हुये स्वीकार किया कि नीलामी समिति शीघ्र बनाकर निष्प्रज्य उपकरण/सामाग्री की नीलामी की जाएगी तथा महानिदेशालय को भी नियमानुसार सूचित किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि इकाई के द्वारा उक्त नियमानुसार निष्प्रयोज्य उकरण /सामाग्री की नीलामी नहीं की गयी थी जिसके कारण उक्त सामग्रियों का दिन प्रति दिन मूल्य ह्रास हो रहा था।

अत**:** धनराशि रु0 113471/- से अधिक मूल्य के निष्प्रोज्य उपकरण/सामाग्री तथा 02 निष्प्रोज्य वाहनो की पिछले कई वर्षों से नीलामी नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग</u>-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (**सा**0**क्षे**0)	**भाग**-II **'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग**-II **'ब' प्रस्तर संख्या**	STAN
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**			**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	भाग II अ	**भाग II ब**	STAN			
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।						

<u>भाग</u>-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

<u>भाग</u>-V

<u>आभार</u>

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **गंगोलीहाट**, **पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

(i) लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख – विगत तीन वर्षों मे समर्पित की गयी धनराशि की छाया प्रति।

(ii) सतत् अनियमितताएः शून्य

2- **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया** -

क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	डा0 कुन्दन कुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	04/2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **गंगोलीहाट**, **पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून "248195" को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.